कार्यालय कलेक्टर जिला दतिया (म.प्र.)

क्रमांक क्यू./स्टेशनरी/14-4/2/2018 दतिया दिनांक 26-4-18 2018

//विज्ञापन//

जिला दतिया के अंतर्गत सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों के उपयोग में लगने वाली (लेखन सामाग्री) स्टेश्नरी एवं अन्य सामाग्री वित्तीय वर्ष 2018-19 अनुबंध दिनांक 31.03.2019 तक के लिये खुले बाजार से क्रय करने हेतु दरें निर्धारित की जाना है। जिस हेतु स्टेशनरी का व्यवसाय करने वाले संबंधित फर्म/मैसर्स से सीलबंद निविदायें दिनांक 18.5.2018 अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य एवं रोजगार विभाग भोपाल भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 के अनुसार कार्यावाही करना सुनिश्चित किया गया है।

शासकीय कार्यालयों में संभावित उपयोग की जाने वाली सामग्री एवं अन्य सामग्रियों की सूची अनुसार सामग्री/ आयटम के समक्ष दर्शित कम्पनी की दरें अंकित किया जाना अनिवार्य है। उक्त निविदा दिनांक 18.5.18 तक दोपहर 3:00 बजे तक बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक अथवा निविदादाता स्वंय कार्यालय में उपस्थित होकर पेश की जा सकेगी जो दिनांक 18.5.18 को ही तत्काल दोपहर 3:00 बजे तक समिति एवं उपस्थित सदस्यों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा के साथ **पांच हजार रूपये (5000 /-)** की एफ.डी. अमानत राशि जो कलेक्टर जिला दतिया के नाम से देय होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। सामाग्री एवं आयटम की सूची कार्यालय से विज्ञापन (प्रकाशन उपरांत कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

निविदा की अन्य शर्तें:-

1. निविदा की सामाग्री की दर प्रति नग, प्रति रिम, प्रति किलो आदि जैसी भी स्थिति हो निविदा सूची अनुसार दर्शाई जावें। निविदा सामाग्री की दर सूची क्रमांनुसार अंकित होना आवश्यक है।
2. क्रय की जाने वाली सामाग्री की सूची कार्यालीन समय में कलेक्टर कार्यालय स्टेशनरी शाखा दतिया से प्राप्त की जा सकती है।
3. सामग्री की मांग आदेश जारी होने पर अतिशीघ्र उपलब्ध कराना होगी।
4. निविदा सामाग्री की दर स्वीकृत एवं मांग आदेश जारी होने के पश्चात समय-सीमा में सामाग्री प्रदान न करने व निर्धारित कम्पनी की सामाग्री प्रदाय न करने की दशा में आदेशित सामाग्री अन्यत्र खुले बाजार से क्रय की जा सकेगी। उसमें से जो अधिक व्यय/ हानि होगी व राशि

निविदा की अमानत राशि से अथवा राजस्व वसूली की भांति वूसल की जावेगी तथा अनुबंध तत्काल समाप्त कर दिया जावेगा।

5. सेम्पल पेपर (10 शीटस) जमा करनी होगी। सेम्पल पर हस्ताक्षर करना होगा।
6. निविदादाता द्वारा दी गई सभी दरें कर युक्त (जी.एस.टी. सहित) होना अनिवार्य है। फर्म पंजीकृत हो तथा फर्म का सेल्स टैक्स का टिन नबंर तथा इन्कम टैक्स का पिन नबंर एवं वर्ष 2017-18 की इन्कम टैक्स रिटर्न अस्सिमेंट देना अनिवार्य है। निविदादाता का टिन नबंर एवं पिन नबंर व रिटर्न अस्सिमेंट की छायाप्रति निविदा के साथ सलंग्न करना अनिवार्य हैं। वेट कर भी देय होगा।
7. निविदा के साथ 5000/ (पांच हजार रूपये मात्र) अमानत राशि एफ.डी. जमा कराये बगैर निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
8. क्रय की गई सामाग्री का भुगतान शासन निर्देशानुसार आबंटन उपलब्ध होने पर किया जावेगा। निविदादाता द्वारा दी जाने वाली समय-सीमा में भुगतान संबंधी शर्त पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
9. अनुसूचित जाति/ जनजाति उघमियों को जाति प्रमाण पत्र तथा पंजीयन प्रमाण पत्र (उघोग विभाग से प्राप्त) प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा।
10. वर्क्स डिपाटमेंट द्वारा संबंधित माप पुस्तिकाओं के अलग-अलग पृष्ठों की अलग-अलग दरें दी जावें।

कलेक्टर
जिला दतिया (म.प्र.)